राजकॉम्प के तकनीकी महाप्रबंधक छत्रपाल सिंह के पास मिली करोड़ों रु. की संपत्ति

सोडाला में लग्जरी मकान-फ्लैट, 5 लग्जरी कार-बाइक, राजापार्क में स्पा सेंटर व बैंक लॉकर मिले

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । एंटी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने जयपुर, दिल्ली, गाजियाबाद में छापेमारी करते हुए राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड ग्रुप (योजना भवन) के तकनीकी महाप्रबंधक छत्रपाल सिंह की करोड़ों रु. की काली कमाई का खुलासा किया है। ए.सी.बी. ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में शनिवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उसके दिल्ली और गाजियाबाद स्थित घर पर पोर्श, डिफेंडर जैसी लग्जरी कारें मिली हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि छत्रपाल सिंह के 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आरोपी छत्रपाल और उसके परिवारजनों के नाम पर जयपुर में श्याम नगर सब्जी मंडी के पास एयर अपार्टमेंट में दो फ्लैट, महादेव नगर सोडाला में मकान तथा दिल्ली और गाजियाबाद स्थित घर पर करोड़ों रुपए के 5 चौपहिया महंगे लग्जरी वाहन मिले। जिनमें एक पोर्से कार, एक जगुआर लैण्ड रोवर डिफेण्डर कार, एक महिन्द्रा थार, एक महिन्द्रा स्कॉर्पयो और शेवर्ले कुज वीसीडीआई शामिल है। आरोपी के ठिकानों से महंगी लग्जरी बी.एम.डब्ल्यू. बाइक एवं करीब 6 लाख की नकदी मिली है।

इसके अलावा कई बीमा पॉलिसियों में निवेश के दस्तावेज और एक बैंक लॉकर व कई बैंक खाते मिले हैं, जिनकी तलाशी ली जानी शेष है। आरोपी छत्रपाल द्वारा राजापार्क में एक किराये की सम्पत्ति, जिसमें "सिम्पली डिवाईन" नाम से स्पा होना व वर्तमान में स्पा को किसी अन्य को किराये पर देने की भी पुष्टि हुई। छत्रपाल सिंह द्वारा अशोक नगर जयपुर में हैप्पी हार्ट फाउण्डेसन भी संचालित करने की जानकारी मिली है, जिसकी तलाशी में लाखों रूपये का निवेश सामने आया है। इसके अलावा ए.सी.बी. टीम को छत्रपाल के ठिकानों से महंगे रिसोर्ट्स में रूकने संबंधी कागजात तथा विदेश यात्राओं की जानकारी भी प्राप्त हुई, जिसके बारे में जांच की जा रही है।

मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. के प्राथमिक आंकलन और प्रथम सूचना रिपोर्ट व अब तक तलाशी में मिले दस्तावेजों के अनुसार आरोपी छत्रपाल सिंह द्वारा अपने सेवाकाल में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्तियां अर्जित करना सामने आया है, जो उसकी वैध आय से आनुपातिक रूप से कहीं अधिक है। इसके अतिरिक्त आरोपी व उसके परिजनों द्वारा कई बेनामी परिसम्पत्तियों में निवेश के साक्ष्य भी मिले हैं, जिनकी विस्तृत जाँच की जायेगी।

ज्ञात रहे कि बीते दिनों मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (डी.ओ.आई.टी.) में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए 3500 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे।

ए.सी.बी. महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि, ब्यूरो मुख्यालय को गोपनीय सूत्र-सूचना प्राप्त हुई थी कि राजकॉम्प इंफ्रा सर्विस लि. के तकनीकी महाप्रबंधक छत्रपाल सिंह ने अपने और अपने परिजनो के नाम से अपनी वैध आय से कई गुणा ज्यादा राशि भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा अर्जित की गई है। ड्यूटी के दौरान विभिन्न जमीन, फ्लैट, मकान और लग्जरी वाहनों पर निवेश किया हुआ है। इस पर शिकायत का सत्यापन कराया गया। छत्रपाल सिंह के राजकीय सेवा शुरू करने से अब तक 2.39 करोड़ रुपए (85.62 प्रतिशत) की संपत्ति वैध आय से ज्यादा होना पाया गया है। इस पर एफआईआर दर्ज कर एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत को जांच दी गई। शनिवार को कोर्ट से आदेश लेकर सर्च शुरू किया गया है।

इस सूचना पर ए.सी.बी. की इन्टेजिलेन्स टीम ने गोपनीय रूप से सत्यापन किया तो शिकायत सही मिली। इस पर ए.सी.बी. ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज करते हुए शनिवार को एक साथ जयपुर, दिल्ली, गाजियाबाद में छापेमारी तय की। इसके लिए सक्षम कोर्ट से तलाशी वारंट लिया गया।

इसके बाद शनिवार को जयपुर में सोडाला स्थित महादेव नगर में मकान नंबर 31 पर, अजमेर रोड पर श्याम नगर सब्जी मंडी के सामने एयर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1206, 1306 और 1401 पर, अशोक नगर (सी स्कीम) डियर पार्क के सामने युधिष्ठिर मार्ग के प्लॉट नंबर 25 में तीसरे फ्लोर पर फर्म हैप्पी हार्ट फाउंडेशन फर्म में, सिविल लाइन स्थित इंडसइंड बैंक में अधिकारी की पहली पत्नी मोहिनी राठौड़ के लॉकर की जांच, राजापार्क में लेन नंबर 6 में स्थित सिंपली डिवाइन स्पा पर, योजना भवन में राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के ऑफिस में, हनुमानगढ़ के वार्ड नंबर 147 में 43 एसएसडब्ल्यू डबली वास मौलवी पर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन के सी-402 फॉर्च्यून रेजीडेंसी के चौथे फ्लोर पर, गाजियाबाद के वैशाली में सेक्टर 9 स्थित फर्म ला-टेक सॉल्यूशन में सर्च किया गया। यहां से बड़ी मात्रा में सम्पतियों के दस्तावेज, बैंक खातों की जानकारी, लॉकर सहित नकदी भी मिली है।

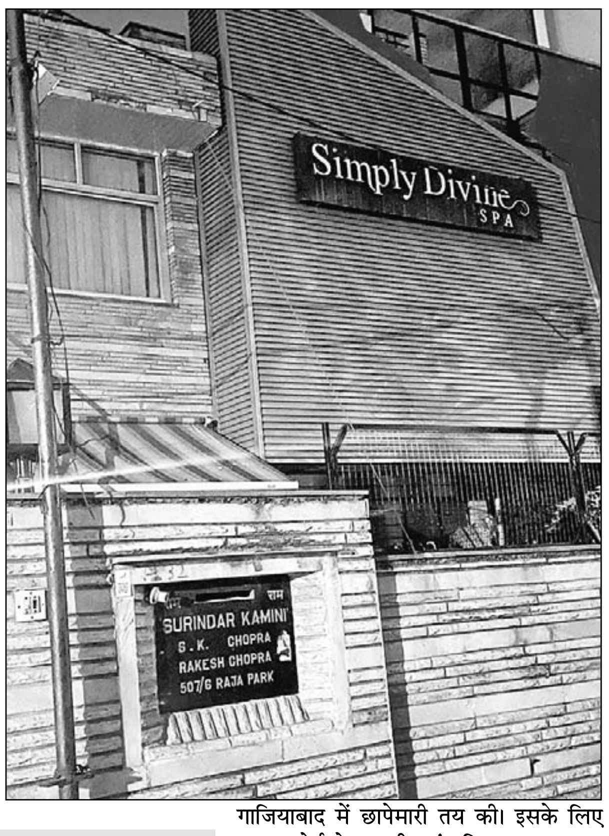

- **आय से अधिक संपत्ति मामले में ए.सी.बी. ने जयपुर, हनुमानगढ़ और गाजियाबाद में एक साथ 10 ठिकानों पर छापा मारा**
- **आरोपी के घर से 6 लाख रु. मिले, इसके अलावा बैंक लॉकर व खाते मिले हैं, जिनकी तलाशी ली जानी शेष है**
- **ज्ञात रहे कि पिछले दिनों मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (डी.ओ.आई.टी.) में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए 3500 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे।**

विजया रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी

वे भाजपा की सचिव हैं और राजस्थान की सह प्रभारी रही हैं

- **विजया रहाटकर 7 साल भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष तथा लम्बे समय केन्द्रीय चुनाव समिति की सदस्य रही हैं। वर्ष 2016 से 2021 के महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं।**

नई दिल्ली/जयपुर। भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान प्रदेश की सह प्रभारी विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ज्ञातव्य है कि विजया रहाटकर ने महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में भी अपनी एक खास पहचान बनाई थी, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने यह नियुक्ति की है। रहाटकर को केन्द्रीय राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त होगा।

विजया रहाटकर भाजपा युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष, सात साल तक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बाद, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव बनीं। इसके अलावा, वे भाजपा की चुनाव समिति की लंबे समय तक सदस्य रही हैं और फिलहाल राजस्थान भाजपा की सह प्रभारी के रूप में पार्टी का काम कर रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलता में उनका बड़ा योगदान रहा है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद, विजया रहाटकर ने कहा कि "राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संवैधानिक और विधायी संस्था का अध्यक्ष बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था की जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी।"

कर्नल राठौड़ ने 18 घंटे से भी कम समय में कर दिया सड़क की समस्या का समाधान

जयपुर। कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा के भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जनसेवा और विकास कार्यों के लिए जनता के दिलों में जगह बनाई है। उन्नत सड़कों का विस्तार, झोटवाड़ा की उन्नति का आधार बन रहा है। 200 फीट अंडरपास के निकट सड़क की स्थिति सही नहीं थी, लेकिन कर्नल राठौड़ ने जनता से वादा किया था कि वह जल्द से जल्द इसे सही करवाएंगे और राठौड़ ने एक बार अपना वादा निभाया। 17 अक्टूबर को विभागीय अधिकारियों के साथ इस समस्या से संबंध में बैठक की और मात्र 18 घंटे से भी कम समय में 18 अक्टूबर को ही सड़क बनवा दी। इतने कम समय में ही सड़क निर्माण करवाने के लिए जनता ने कर्नल राठौड़ का हार्दिक आभार जताया है।

कर्नल राठौड़ ने कहा, संपूर्ण झोटवाड़ा में सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जा रहा है। जनसहयोग से झोटवाड़ा विकास में अग्रणी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरणादायी और दूरदर्शी मार्गदर्शन में कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ प्रत्येक विकास कार्य को योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं।

नाम संशोधन

मैं हुसैन तेली पुत्र गफूर खान जाति तेली मुसलमान उम्र 44 साल निवासी ग्राम पोस्ट जड़ावता तहसील व जिला सवाई माधोपुर शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरी पत्नी हुसैनी का सभी दस्तावेजों में हुसैनी बानो गलत नाम दर्ज हो गया है जबकि उसका सही नाम हुसैनी है अतः भविष्य में मेरी पत्नी को हुसैनी के नाम से ही जाना जावे।

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना

मुख्य परियोजना प्रबन्धक (जीएसयू), उत्तर-पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से नीचे दिये गये कार्यों के लिए दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई निविदा आमंत्रित की जाती है। **निविदा संख्या : GSU-All-UDZLL910-24-25 कार्य का नाम :** Earthwork in cutting/formation, extension of minor bridges, supply of stone ballast of 65 mm size(Hard Stone), Transportation of P. Way material, Laying & Linking of BG track including Point- xing, Dismantling of civil structures and other miscellaneous works in c/w converting stabling line no. 9 into running line and a passenger PF line at Udaipur station. **अनुमानित लागत : रू 1,31,53,275.56 बिड सिक्यूरिटी : रू 2,15,800.00 ई निविदायें बन्द होने की तिथि व समय –** 08.11.2024 को 15.00 बजे **ई निविदायें खोलने की तिथि व समय:** 08.11.2024 को 15.30 बजे उपरोक्त ई निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए वैबसाइट का पता – **www.ireps.gov.in** **1211-PM/24**

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 268/2024

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्रीमती अंजू गुप्ता निवासी प्लॉट नं. 175-ए, नेमी सागर एक्सटेंशन, वैशाली नगर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास नव उत्थान ट्रस्ट कार्यालय पता- प्लॉट नं. 175-ए, नेमी सागर एक्सटेंशन, वैशाली नगर जयपुर राजस्थान प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 18.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 02.11.2024

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

खोया पाया

मेरे प्लाट नम्बर-8/HMM/94 का अदेय प्रमाण पत्र क्रम संख्या 2559 खो गया है मिले तो सम्पर्क करें-9829212020

मेरे आवास संख्या 162/182 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं गिर/गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। हजारीलाल माहेश्वरी-9983054406

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-4318 दिनांक-17.10.2024

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 31/173-A (EWS), (एरिया 36.90 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री रमेश चन्द को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 4398 दिनांक 06.06.1994 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 1440 दिनांक 31.03.1995 को जारी किया गया। श्रीमती पूनम देवी पत्नी श्री वासुदेव के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 1033/1649 दिनांक 28.05.2013 के द्वारा किया गया। श्रीमती पूनम देवी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 12.06.2013 को उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती पूनम देवी द्वारा आरती मीणा पुत्री श्री गंगाराम मीणा को दिनांक 30.07.2013 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। आरती मीणा द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 19.12.2013 के द्वारा श्रीमती सरिता शर्मा पत्नी श्री अवधेश शर्मा को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती सरिता शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 03.07.2023 के द्वारा श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री दरबारी लाल जैन को विक्रय कर उप पंजीयक-जयपुर-प्रथम, के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। अत उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री दरबारी लाल जैन का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर

(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 256/2024

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्रीमती मंजू कंवर चौहान निवासी प्लॉट नं. 499 जेडीए कॉलोनी, गोविन्दपुरा स्कीम शिकारपुरा रोड, सांगानेर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान कार्यालय पता- प्लॉट नं. 499 जेडीए कॉलोनी गोविन्दपुरा स्कीम शिकारपुरा रोड, सांगानेर जयपुर राजस्थान प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 16.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 21.10.2024

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 84/2024

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री नितिन तलेसरा अध्यक्ष प्रन्यास राजधानी फाउण्डेशन ट्रस्ट 22, सत्या विहार, लाल कोठी, ईएनटी हॉस्पिटल के पास जयपुर ने पंजीकृत प्रन्यास, जिसका पंजीयन क्रमांक 111 जयपुर 2010 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत स्वयं का नाम बतौर अध्यक्ष कार्यालय रिकार्ड में दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 20.11.2024

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

पी.एफ.आई. के पांच सदस्यों के खिलाफ आरोप तय

जयपुर। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े पांच लोगों वाजिद अली, मुबारिक अली, मोहम्मद आसिफ, सादिक और सोहेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 153एऔर यूएपीए एक्ट की धारा 13, 17 और 18 सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए हैं। पीठासीन अधिकारी एनए खान ने यह आदेश दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिए। एनआईए की ओर से अधिवक्ता स्नेहदीप ने अदालत को बताया था कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के प्रशिक्षित सदस्य है। इनका मुख्य उद्देश्य देश में आतंक व हिंसक गतिविधियों को अंजाम देना और इसके लिए धन जुटाना था। संगठन से जुड़े लोग हथियारों और विस्फोटकों को लेकर ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने और विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए धन जुटाने में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही ये लोग देश में विभिन्न धार्मिक वर्गों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को हिंसक तरीकों का सहारा लेने के लिए प्रेरित करते थे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 21 सितंबर, 2022 की रात देश के पन्द्रह राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की थी। प्रकरण में एनआईए ने कोटा निवासी मुबारिक और वाजिद सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। प्रकरण से जुड़े एक आरोपी की ओर से पूर्व में अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर अभियोजन स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज भी मांगे थे, जिसे अदालत ने गत दिनों खारिज कर दिया था।

शिक्षक को बी.एल.ओ. पद पर लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक

जयपुर। हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक को उपखंड अधिकारी की ओर से बीएलओ पद पर लगाने के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रारंभिक शिक्षा सचिव व संबंधित अफसरों से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने यह आदेश सीताराम रैगर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता शिक्षक की ओर से राजसमंद के चारभुजा में स्थित स्कूल में नियमित तौर पर छात्रों के अध्यापन का काम किया जा रहा है। इस दौरान उपखंड अधिकारी, कुम्भलगढ़ ने गत 7 अगस्त को आदेश जारी कर उसे बीएलओ के पद पर लगा दिया। जबकि निर्वाचन विभाग की ओर से 18 अक्टूबर 2011 व 21 जून 2012 के परिपत्र में निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी शिक्षक को बीएलओ के पद पर लगाने से अध्यापन कार्य में रुकावट आ रही है तो इस स्थिति में उससे बीएलओ का काम नहीं करवाया जा सकता। ऐसा इसलिए है, क्योंकि उसे अध्यापन कार्य से ही समय नहीं मिल पा रहा है। वहीं भारत सरकार ने भी इस संबंध में परिपत्र जारी कर रखा है।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772

क्रमांक-DHC-II/2840 दिनांक-29.01.2024

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 32/72 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 121.60 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र श्री ताराकान्त उपाध्याय को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3683 दिनांक 04.11.1999 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 13.03.2000 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 317 दिनांक 18.04.2000 के द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र श्री ताराकान्त उपाध्याय के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसके पश्चात श्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय की मृत्यु दिनांक 14.01.2020 को हो जाने के कारण इनकी पुत्रिया श्रीमती सृष्टि व्यास पत्नी श्री साहिल व्यास एवं गीतप्रिया उपाध्याय पुत्री स्व. श्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती सृष्टि व्यास एवं गीतप्रिया उपाध्याय के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक 4325 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 17.10.2024

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास सं.64/570 (EWS), (एरिया 36.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर सांगानेर का आवंटन श्री रामुमल पुत्र श्री मोटूमल को किया जाकर आवंटन पत्र कमांक 1786 दि.07.03.1992 को जारी किया गया। श्री हेमराज सैन पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण सैन के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र कमांक 2744/3438 दिनांक 29.06.2010 के द्वारा किया गया। श्री हेमराज सैन के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 24.05.2018 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री हेमराज सैन की मृत्यू दि.28.06.2020 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती सुमन सैन पत्नी स्व. श्री हेमराज सैन द्वारा उक्त आवास को अपने नाम हस्तांतरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तांतरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए कि मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्रीमती सुमन सैन पत्नी स्व. श्री हेमराज सैन का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक वृत प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं.CMNC 1/24

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थीया नाम- 1. शांति देवी पत्नि मंगलचन्द रैगर उम्र 52 वर्ष जाति रैगर निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला दूदू, राज., 2. रक्षिता सुकरिया पुत्री मालू सुकरिया उम्र 4 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादी शांति देवी निवासी रैगरों का मोहल्ला सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला दूदू राज.। 3. ऐलिजा सुकरिया पुत्री मालू सुकरिया उम्र 1 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादी शांति देवी निवासी रैगरों का मोहल्ला सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला दूदू राज.।

मृतक मालू सुकरिया पुत्र मंगल चन्द सुकरिया की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम मालू सुकरिया का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 21 माह 10 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 18 माह 10 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

आज्ञा न्यायालय से
शरिस्तेदार/श्रीडर ग्रेड-प्रथम
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
दूदू, जिला जयपुर

मोहर अदालत

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय SDO स्थान मौजमाबाद जिला दूदू

रामदयाल विरूद्ध पुष्पलता वगै.

वाद/ प्रार्थना पत्र 251 A RTA

प्रार्थना-पत्र संख्या ....सन्

नाम पुष्पलता पुत्री बद्रीप्रसाद जाति जाटव पता निवासी एस 22 गोपालपुरा बाईपास जयपुर

उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि ....

अत: आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 22 माह 10 सन् 2024 को 10:00 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज ता. 18 माह 10 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

1023 / 18.10.24

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद जिला दूदू

मोहर अदालत

सक्रिय सदस्य बनने का आव्हान

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान के तहत सक्रिय सदस्य बनकर प्रदेशवासियों से आव्हान किया कि राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित राजनीतिक पार्टी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता के बाद सक्रिय सदस्यता अवश्य ग्रहण करें। राठौड़ ने कहा कि भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही है। शुक्रवार तक प्रदेश में 49 लाख ऑनलाइन सदस्य तथा 20 लाख ऑफलाइन सदस्य बन चुके है और शीघ्र ही लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाएगी।

मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा के सदस्यता अभियान के उपचुनावों में पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। विधानसभा चुनावों में इन 7 सीटों में से एक पर भाजपा थी, जबकि 6 कांग्रेस और अन्य के पास, लेकिन अब उपचुनावों में भाजपा का जनाधार बढ़ेगा।

मध्य एशिया के देशों के 28 राजनयिकों ने जयपुर फुट की निर्माण विधि देखी

जयपुर। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में मध्य एशिया के देशों के 28 राजनयिकों ने शनिवार को विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माण विधि देखी।

मध्य एशियाई देशों के कजाकिस्तान के चार, किर्गिजस्तान के आठ, ताजिकिस्तान के 11, उजबेकिस्तान के तीन और तुर्कमेनिस्तान के दो राजनयिकों ने जयपुर फुट की निर्माण विधि का अध्ययन किया।

यह दल विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत नई दिल्ली के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन सर्विस में भारत के बारे में जानकारी लेने और लगभग दो सप्ताह के विशेष पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत आया है। इस दल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय की संयुक्त सचिव अनिता शुक्ला कर रही थी।

उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्रालय और जयपुर फुट की निर्माण संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) के सौजन्य से विदेश मंत्रालय के "इण्डिया फॉर ह्यूमैनिटीज" कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशों में दिव्यांग पुनर्वास शिविरों का आयोजन करती है। अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 48 एशियाई, अफ्रीकी और लेटिन अमेरिकी देशों में 110 पुनर्वास शिविरों के माध्यम से 48 हजार दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा चुका है। विदेशी राजनयिकों के इस दल का भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता, बी.एम.वी.एस.एस. के अध्यक्ष सतीश मेहता, सचिव भूपेन्द्र राज मेहता और सचिव (तकनीकी) डॉ. दीपेन्द्र मेहता ने स्वागत किया। दल के सदस्यों के डी.आर. मेहता, सतीश मेहता, दीपेन्द्र मेहता और भूपेन्द्र राज मेहता ने जयपुर फुट के निर्माण विधि की जानकारी दी। दल के सदस्यों को यह जानकारी प्राप्त कर हर्ष हुआ कि दिव्यांगों को कृत्रिम पैर, ट्राई साईकिल, व्हील चेयर, बैसाखी तथा अन्य उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। उज़बेकिस्तान की राजनयिक शादीकोताव साओदात ने कहा कि बी.एम.वी.एस.एस. मानव सेवा के लिए उदघुत कार्य कर रही है और इसने सारे देशों में जयपुर फुट के पदचिन्ह इस बात की पुष्टि करते है कि जयपुर फुट उत्तम गुणवत्ता का कृत्रिम अंग है। विदेश मंत्रालय की संयुक्त सचिव अनिला शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

विदेशी राजनयिकों के इस दल को भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता ने जयपुर फुट की निर्माण विधि की जानकारी दी।

नम्बर मिलाइए

9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैं महेन्द्र सिंह राठौर आर्मी नं. 15712229K रैंक- L/NK पुत्र श्री शंकर सिंह राठौर निवासी-110/3 बड़ागांव, तहसील-वीरपुर, जिला-श्योपुर, मध्य प्रदेश ने अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपनी माताजी का नाम रामकोरी देवी राठौर से बदलकर रामकटोरी रख दिया है तथा जन्मतिथि 08.06.1952 से बदलकर 01.01.1953 कर दी।

मेरे पुत्र सचिन चौधरी की कक्षा Xth Year 2023, (Ro.no. 1539225) में मेरा नाम भूलवश सुजाराम रूडला हो गया। जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सूरजकरण है। मुझे भविष्य में सूरजकरण के नाम से जाना जावे। पता-ग्रा.पो. किशोरपुरा, तह. फागी, जिला-जयपुर। मो. 7314008946

I have changed my name from Aksh Goyal to Akshat Goyal Badhalia for all purposes R/o A-4 Alaknanda Chitranjan marg C-Scheme Jaipur

I army no2871115L Ex Hav ranveer singh S/O richhpal singh R/O 105 Salasar vatika-4 niwaru road jhotwara Jaipur That I have changed my name from RANVEER SINGH is wrong entered in service record To RANVEER SINGH SHEKHAWAT vide affidavit dated 17 oct.2024 before district notary Jaipur

Rajasthan State Road Development And Construction Corporation Ltd.JAIPUR

No.NIT/2024-25/17771-83 **निविदा सूचना/2024-25** Date:18.10.2024

निम्नलिखित कार्यों के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों एवं उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत एवं अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है-

कार्य का विवरण	कार्य की कुल अनुमानित लागत (रू)	निविदा सूचना संख्या
Strengthening & Widening up to 2-Lane with paved shoulder of SH-134 Jahajpur to Deoli section. **RRC2425WLOB00533**	**2676.81 Lakh**	ई-266/24-25
SITC of Lift work in New Teaching Hospital Building at Sawai Madhopur. **RRC2425WSOB00540**	**318.30 Lakh**	ई-269/24-25

निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र में निविदा शुल्क, धरोहर राशि, डाउनलोड करने व खोलने की तारीख सहित सम्पूर्ण विवरण एवं संशोधन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.nic.in तथा http://roads.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। **महाप्रबंधक**

कार्यालय ग्राम पंचायत गोनेर पंचायत समिति सांगानेर जयपुर

क्रमांक-245 दिनांक-18.10.2024

ई-निविदा सूचना 07/2024-25

ग्राम पंचायत गोनेर में निर्माण कार्यो के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 181 के तहत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योमेंट प्रक्रिया से वेबसाइट https://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है विस्तृत विवरण https://sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

NIB PEZ2425A0082 UBN PEZ2425WSOB00109 TO 110

ग्राम विकास अधिकारी — **सरपंच**
ग्राम पंचायत गोनेर — **ग्राम पंचायत गोनेर**